

दिनांक 18.01.2023 को जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति तथा एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक का एजेण्डा ।

1. मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थापित इकाइयों की समस्याओं पर चर्चा:

2. जनपद की औद्योगिक इकाई को विद्युत संयोजन स्वीकृति:-

विभाग के अधीन पंजीकृत इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लम्बित नहीं है।

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति- 2015 के तहत औद्योगिक इकाइयों को उपादान स्वीकृति:-

(क) ब्याज उपादान:-

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात-दो/15/146- एमएसएमई/ 2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी-ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 08.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंक से प्राप्त हुए हैं।

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख रु. में	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत	अवधि	कुल ब्याज धनराशि रु. में	उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धनराशि	10 % की दर से ब्याज उपा.की धन. या एक वर्ष में अधिकतम 08 लाख
1. मै. होटल एंड रेस्टोरेंट ब्लू ऑरचिड, झिरमोली	सावधि ऋण	82.50	09.25	01.07.22 से 30.09.22	1,10,015.00	—	1,10,015.00
			09.75	01.10.22 से 31.12.22	1,06,806.00	—	1,06,806.00
			योग:		2,16,821.00	—	<b>2,16,821.00</b>
2. नंदा रिसोर्ट, बडासू	सावधि ऋण	200.00	11.10	01.07.22 से 30.09.22	6,00,883.00	59,547.00	5,41,336.00 वित्तीय वर्ष 2022-23 में इकाई को पूर्व में रु. 5,60,820.00 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इस अवधि हेतु रु. 2,39,180.00 की स्वीकृति हेतु समिति के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत है।
3. मै. टूरिया हैली रिसोर्ट, जामू	सावधि ऋण	67.50	10.30	01.04.22 से 30.06.22	44,072.00	1,284.00	42,788.00
			10.80	01.07.22 से 30.09.22	49,621.00	3,676.00	45,945.00
			11.30	01.10.22 से 31.12.22	46,453.00	53,44.00	41,109.00
			योग		1,40,146.00	10,304.00	<b>1,29,842.00</b>

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख रु. में	वार्षिक ब्याज दर प्रति.	अवधि	कुल ब्याज धनराशि रु. में	उद्यमी द्वारा वहन की जाने वाली धन.	10 % की दर से ब्याज उपा.की धन. या एक वर्ष में अधिकतम् 08 लाख
4. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैण, रुद्र.	सावधि ऋण	40.00	12.05	01.07.22 से 30.09.22	82,523.00	14,039.00	68,484.00
			12.90	01.10.22 से 31.12.22	77,838.00	17,498.00	60,340.00
			योग		1,60,361.00	31,537.00	<b>1,28,824.00</b>
5. होटल मधुगंगा, ऊखीमठ	सावधि ऋण 1	99.64	10.90	01.07.22 से 30.09.22	2,12,415.00	17,539.00	1,94,876.00
	सावधि ऋण 2	100.00	10.25	01.07.22 से 30.09.22	2,12,013.00	5,171.00	2,06,842.00
	सावधि ऋण 1	99.64	10.90	01.10.22 से 31.12.22	2,18,681.00	18,056.00	2,00,625.00
	सावधि ऋण 2	100.00	10.25	01.10.22 से 31.12.22	2,06,872.00	5,046.00	2,01,826.00
	योग				8,49,981.00	45,812.00	8,04,169.00 वित्तीय वर्ष 2022-23 में इकाई को पूर्व में रु. <b>3,96,478.00</b> की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इस अवधि हेतु <b>रु0 4,03,522.00</b> की स्वीकृति हेतु समिति के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत है।
6. मै. शिवालिक वैली इन, सीतापुर	सावधि ऋण	140.00	09.80	01.07.22 से 31.07.22	1,12,346.00	—	1,12,346.00
			10.30	01.08.22 से 30.09.22	2,27,889.00	6,638.00	2,21,251.00
			10.80	01.10.22 से 30.11.22	2,35,200.00	17,422.00	2,17,778.00
			11.15	01.12.22 से 31.12.22	1,20,642.00	12,443.00	1,08,199.00
			योग				6,96,077.00
<b>06 इकाईयों को स्वीकृत हेतु कुल धनराशि रु. 16,28,677.00</b>							

समिति से अनुरोध है कि उक्त औद्योगिक इकाईयों को ब्याज उपादान की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

**(ख) विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायता:-**

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात-दो/15/146-एमएसएमई/2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.5 के अन्तर्गत श्रेणी- "ए" के क्षेत्रों हेतु 100 केवीए तक के उद्यमों को प्रथम 05 वर्ष के लिये शत-प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाई के विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायता का प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं-

इकाई का नाम	अवधि	पिछली रीडिंग	अंतिम रीडिंग	कुल उपयोग की गई विद्युत यूनिट	दर प्रति यूनिट रू० में	कुल धनराशि रू० में	प्रतिपूर्ति हेतु शत प्रतिशत की दर से अनु० धन० रू० में
1	2	3	4	5	6	7	8
मै. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैण रुद्रप्रयाग	31.06.22 से 31.07.22	13561	14322	761	04.80 प्रति यू	3,652.80	3,652.80
	31.07.22 से 31.08.22	14322	14995	673	04.80 प्रति यू	3,230.40	3,230.40
	31.08.22 से 30.09.22	14995	15907	912	04.80 प्रति यू	4,377.60	4,377.60
	30.09.22 से 31.10.22	15907	16901	994	04.80 प्रति यू	4,771.20	4,771.20
	31.10.22 से 30.11.22	16901	17815	914	04.80 प्रति यू	4,387.20	4,387.20
	30.11.22 से 31.12.22	17815	18892	1077	04.80 प्रति यू	5,169.60	5,169.60
<b>योग:</b>						<b>25,588.80</b>	<b>25,588.80 अर्थात् 25,589.00</b>

समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त औद्योगिक इकाई को विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायता उपादान की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

**4. एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 पर विचार:-**

एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत वर्तमान में कोई भी आवेदन पत्र विभाग में लम्बित नहीं है।

**5. अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-**